बाल अधिकार और खेल

अखिलेश कुमार
(शोध छात्र, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, कमच्छा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत)

Abstract

'Right to play' is an integral part of the children's rights. Accordingly Universal Declaration of Human Rights has also included this right in its charter. Various other national and international organizations have provided variety of provisions with reference to children's rights. Which of them support the children's right to play ? and What is the importance of this right for all round development of the children? An attempt has been made through this paper to find answers to the above questions. The views given in this article are based on the reviews of literature related to the theme.

Keywords: ***Children's right, human right right to play, recreation, folk games***

खेलने का अधिकार, मानवाधिकारों का अभिन्न अंग है। "मानवाधिकार वह प्रकृति प्रदत्त अधिकार है जो हमें मानव होने के नाते स्वाभाविक रूप से प्राप्त हैं। ये ऐसे जन्मजात अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अपना अस्तित्व सुरक्षित रखने के लिए, अपना विकास करने के लिए और जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है" (गुप्ता, 2006, पृष्ठ–78)। जीवन स्वतन्त्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा को महत्त्व प्रदान करने वाला यह अधिकार बच्चों के लिए अति आवश्यक है।

10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वजनीन घोषणा अंगीकार की और उसका ऐलान किया। घोषणा प्रपत्र की उद्देशिका में कहा गया कि – "सदस्य राज्यों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के सहयोग से मानवाधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वजनीन सम्मान तथा उसके पालन को बढ़ावा देने की स्थिति प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की है" (एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰ 1998, पृष्ठ–28)। प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए 20 नवम्बर, 1989 को महासभा द्वारा स्वीकृत और 2 सितम्बर, 1990 से प्रभावी बच्चों के अधिकारों से सम्बन्धित अभिसमय की उद्देशिका में भी कहा गया है कि – "बच्चे को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण और सुसंगत विकास के लिए पारिवारिक परिवेश में आनन्द, स्नेह और सौहार्द्ध के वातावरण में बढ़ना चाहिए (एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰ 1998, पृष्ठ–88)। इस प्रतिज्ञा और अभिसमय के अनुपालन की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रायः सभी सदस्य राज्य खेलने के अधिकार को बाल अधिकार के रूप में प्रदान करने के लिए कृत संकल्प हैं।

सदस्य राज्य के रूप में भारतीय गणराज्य ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 पारित किया। इस अधिनियम में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बेहतर प्रयास भी किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार घोषणा पत्र के अनुसार "18 वर्ष से कम उम्र का हर व्यक्ति बच्चा है। राज्य बच्चे के अधिकार का सम्मान करता है और उन्हें साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है" (एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰ 2009, आवरण पृष्ठ)। इसलिए अधिनियम के "अनुच्छेद 31 में बच्चों को खेलने एवं आराम करने का अधिकार प्रदान किया गया है" (एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰ 2009, आवरण पृष्ठ)।

"खेल आत्म–प्रेरित जन्मजात, रचनात्मक प्रवृत्ति है जिसमें बालक सक्रिय रहता हैं और अनुभव करता है कि उसे आनन्द प्राप्त हो रहा है। खेल की क्रिया सदा स्वतंत्रता, स्वाभाविकता और आनन्द से युक्त होती है" (सारस्वत, 1997, पृष्ठ–113) "खेल कार्य में एक प्रकार का आनन्द है" (सारस्वत, 1997, पृष्ठ–113)। यहाँ खेल के अन्तर्गत आंग्ल भाषा के स्पोर्ट (sport), प्ले (play), गेम (game) तथा रिक्रिएशन (recreation) सभी पदों को सम्मिलित किया गया है।

बाल अधिकार तथा खेल के संदर्भ में कुछ अध्ययन किए गए हैं जो इस प्रकार हैं–

- 'कॉन्स्टीटूशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन : ए कम्परेटिव एण्ड क्रिटिकली स्टडी अण्डर दी कॉन्स्टीटूशन ऑफ इण्डिया एण्ड इण्डोनेशिया'(फैज़, 2007)।
- 'चिल्ड्रेन्स राइट्स इन तुर्की'(लिबेल, 2001)।
- 'ए चाइल्ड्स ''राइट टू ए फेमिली'(एफ॰ बी॰ सी॰ सी॰, 2008)।
- 'चैलेन्जेज ऑफ चाइल्ड्स राइट अवेयरनेस : ए केस स्टडी ऑफ प्राइमरी स्कूल प्यूपील्स एण्ड टीचर्स इन आईकेन्ने लोकल गवर्नमेंट एरिया ऑफ ओगन स्टेट' (साराह, 2009)।
- 'दि यू॰ एन॰–कनवेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एण्ड दि इवोलुशन ऑफ चिल्ड्रेन्स प्ले' (गर्ल, 2008)।
- 'द फाउण्डेशन ऑफ राइट इन दि अफ्रिकन चार्टर ऑन द राइट्स एण्ड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड : ए हिस्टोरिकल एण्ड फिलॉसोफिकल एकाउन्ट' (कैमी, 2009)।
- 'फण्डामेंटल एलेमेंट्स इन एग्जामिनिंग ए चाइल्ड्स राइट टू एज्यूकेशन : ए स्टडी ऑफ होम एज्यूकेशन रिसर्च एण्ड रेगुलेशन इन आस्ट्रेलिया' (जैक्शन व एलेन, 2010)।

बाल अधिकार के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए विभिन्न अध्ययनों में देखा गया कि बाल अधिकार के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए विभिन्न प्रावधानों में से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से कौन–कौन प्रावधान बच्चों के खेलने के अधिकार को बल प्रदान करते हैं? तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलने के अधिकार का क्या महत्त्व है? इस विषय पर अध्ययन नहीं हुआ है। अतः प्रस्तुत प्रपत्र में उक्त समस्या पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

खेल तथा खेलने के अधिकार को बल प्रदान करने वाले राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए विभिन्न प्रावधान :

मानवाधिकार के सार्वजनीन घोषणा के अनुच्छेद 26 (2) में स्पष्ट किया गया है कि ''शिक्षा मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और मानवाधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना को प्रबल बनाने की ओर अभिमुख होगी वह सभी राष्ट्रों, नस्लों या धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता और मित्रता का अभिवर्धन करेगी और संयुक्त राष्ट्र के शांति की रक्षा के प्रयत्नों में सहायक होगी'' (एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰, 1998, पृष्ठ–35)। यहाँ शिक्षा के अन्तर्गत ही खेल के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। इसे गिजुभाई बधेका ने स्पष्ट लिखा है कि ''मेरे हिसाब से खेल ही तो सच्ची शिक्षा है'' (बधेका, 2008, पृष्ठ–27)। औपचारिक व अनौपचारिक रूप से बच्चों को खेलने का अवसर देकर तथा खेल को शिक्षा का साधन बनाकर बालक के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास किया जा सकता है। इसके लिए स्थानीय खेल जो बच्चों के परिवेश में प्रचलित हैं को खेलने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत बच्चों के अधिकारों से सम्बन्धित अभिसमय के अनुच्छेद–6 (1) में ''प्रत्येक बच्चे को जीवन का सहज अधिकार प्राप्त है'' (एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰, 1998, पृष्ठ–90) ऐसा कहा गया है। वस्तुतः खेल बाल जीवन की स्वाभाविक, आत्म प्रेरित, सामान्य प्रवृत्ति है इससे जीवन सहज एवं सरल बनता है। बाल्यावस्था में खेल जीवन का अभिन्न अंग है, खेलने से वंचित करना बच्चों के जीवन की सहजता से वंचित करना जैसा ही है। अनुच्छेद 13 (1) में ''बच्चे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।'' (एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰, 1998, पृष्ठ 92) स्वस्फूर्त तथा नियोजित खेलों में बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। वे अपने आप को अभिव्यक्त करते है। खेल बच्चे की निजी संपत्ति होती है। इसके निजीपन में हस्तक्षेप से संरक्षण के लिए अनुच्छेद 16 (2) में प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि बच्चों को हस्तक्षेप या प्रहारों के विरूद्ध कानून का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए खेलने का अवसर प्रदान कर उसकी संपत्ति में अभिवृद्धि करना चाहिए।

अनुच्छेद 27 (1) में पक्षकार राज्य स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक बच्चे को ऐसा जीवन जीने का अधिकार है जो उसके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त हों" (एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰, 1998, पृष्ठ–98)। "खेलों (विशेषकर स्थानीय लोक प्रचलित खेलों) के माध्यम से बच्चों में आपसी सहयोग की भावना का विकास शरीर का समुचित विकास, शिक्षक व अंतर्मुखी रहने की प्रवृत्ति से दूरी, सतर्कता एवं सूझ–बूझ से काम लेने की आदत, समस्या समाधान के लिए कार्य कारण में सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता, सृजनात्मकता, स्वयं ज्ञान अर्जित करने की भावना, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन सामाजिकता, एकता एवं आपसी सहयोग के भाव विकसित होंगे" (एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰,1997,पृष्ठ–ग)। यह तथ्य शोध द्वारा भी स्पष्ट हो चुका है।

अनुच्छेद 28 (1–ङ) में "स्कूलों में नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहन देने और पढ़ाई अधूरी छोड़ने वालों का अनुपात कम करने के लिए उपाय करेंगे" (एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰, 1998, पृष्ठ–98)। खेल आधारित शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालयीय परिवेश में बच्चों के परिवेश से जुड़ी स्थानीय लोक प्रचलित खेलों को स्थान देने से बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी और स्कूल छोड़ने वालों का अनुपात कम होगा।

खेलने का अधिकार तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास :

"किसी भी नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए (शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक) मानवाधिकार अति आवश्यक है" (गुप्ता, 2006, पृ0–79)। इन अधिकारों (खेलने के अधिकार) के अभाव में बच्चों का शारीरिक, बौद्धिक तथा सामाजिक विकास रुक जाएगा। व्यक्ति की कुशलताएँ, योग्यताएँ एवं शक्तियाँ अविकसित रह जाएंगी।

"खेल जीवन के लिए अभ्यास है। बच्चे तथा किशोर निर्णय, तार्किक सोच तथा समस्या–समाधान को खेल–खेल में अभ्यास से सीखते हैं। खेल मित्रता के भाव, एकता और निष्पक्षता, समूह में शिक्षण, स्व अनुशासन, विश्वास, दूसरों के प्रति सम्मान, नेतष्त्व और अनुकरण कौशल को बढ़ाते हैं" (यूनिसेफ, 2004, पृष्ठ–02)।

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महा सचिव कोफी ए॰ अन्नान ने कहा था कि – "व्यक्ति के जीवन के विकास में खेल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, न केवल व्यक्ति का बल्कि सम्पूर्ण समुदाय के विकास में खेल योगदान देते हैं" (यूनिसेफ, 2004, पृष्ठ–29)।

"व्यवस्थित परिस्थितियों में स्कूल जाने के पूर्व या घर पर, बच्चे कहीं भी और कभी भी खेलते हैं। पानी, मिट्टी, गत्ता, लकड़ी के गुटके, बर्तन और ढक्कन जैसे आसानी से उपलब्ध वस्तुएँ बच्चों में भाषा, तर्क और निर्णय लेने की कौशलों के विकास में सहायता कर सकते हैं। बच्चों के अधिगम और विकास में माता–पिता, परिवार का कोई सदस्य या अन्य देख रेख करने वाले मुख्य भूमिका निभाकर योगदान कर सकते है" (यूनिसेफ, 2004, पृष्ठ–7)।

"बच्चों एवं किशोरों की बहुत बड़ी संख्या की पहुँच विद्यालयों तक है। विद्यालय, खेलने के अवसरों को उपलब्ध कराने का एक आदर्श स्थान हैं; खेल, बच्चों का सम्पूर्ण विकास करके शिक्षा की गुणवत्ता में ही अभिवृद्धि नहीं करता है बल्कि उसके बौद्धिक क्षमताओं में भी विकास करता है। विद्यालय में नामांकन तथा उपस्थिति बढ़ाकर अधिगम तथा शैक्षिक उपलब्धि में अभिवृद्धि करता है। शारीरिक शिक्षा तथा कक्षाओं में अच्छे स्वास्थ्य के लिए अभ्यास का अवसर देकर कमजोरी व बिमारियों से बचाने में सहायता करता है। ऐसी सूचना व कौशलों को बच्चे अपने घर जाकर परिवार में दे सकते हैं। ....विद्यालय बन्द होने के बाद बच्चों को खेल क्रियाएँ करने के लिए विद्यालय और उसके बाहर सबसे अच्छा व सुरक्षित स्थान मिलता है, जिससे उन्हें कक्षा के बाहर सतत् अधिगम का अवसर मिलता रहता है। ....शिक्षा में परिवार एवं समुदाय को शामिल करने के लिए खेल बढ़ावा दे सकता है। विद्यालय के बाद खेल प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका द्वारा बच्चों की शिक्षा में माता–पिता सक्रिय योगदान कर सकते हैं" (यूनिसेफ, 2004, पृष्ठ–11)।

समय आधारित शोध यह सुनिश्चित कर चुके है कि शारीरिक क्रियाएँ युवकों (बच्चों सहित) में तनाव व हताशा के लक्षणों को दूर करते हैं, एक अध्ययन में पाया गया कि– "संयुक्त राज्य के तीन विद्यालयों के 8–12 वर्ष के लड़कों तथा लड़कियों में क्रियाशील बच्चों की अपेक्षा अक्रियाशील बच्चों में हताशा अधिक थी" (टेमसन, व अन्य, 2003, पृष्ठ–419)। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि– "6–12 वर्ष के ऐसे बच्चे जो पाँच घण्टे प्रति सप्ताह शारीरिक क्रियाएँ करते थे उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक वृद्धि हुई तुलनात्मक रूप से ऐसे बच्चों से जो प्रति सप्ताह 40 मिनट ही शारीरिक क्रियाएँ करते थे" (यूनिसेफ, 2004, पृष्ठ–18)।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005 के निर्देशक सिद्धान्त (एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰, 2008, पृष्ठ–viii) में यह निर्देश दिया गया है कि –

- ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ें,
- पढ़ाई रटन्त प्रणाली से मुक्त करें,
- पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन करें कि वह बच्चों का चतुर्मुखी विकास कर सकें,
- बच्चों की प्रकृति एवं वातावरण के अनुरुप कक्षागत अनुभव आयोजित करें,
- उनकी सहज इच्छा एवं युक्तियों को समृद्ध करें तथा
- विषयों के बीच की दीवारें नीची करें जिससे बच्चों को ज्ञान का समग्र आनंद मिल सके।

यदि शिक्षा में बाल जगत में प्रचलित लोक खेलों को स्थान दिया जाए तो पाठ्यचर्या 2005 के निर्देशक सिद्धान्त की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही शिक्षा के साथ खेल को जोड़कर खेलने के अधिकार का संरक्षण भी किया जा सकता है।

निष्कर्ष

विभिन्न अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि खेल क्रियाएँ बच्चों के सम्पूर्ण विकास का माध्यम हैं। इन क्रियाओं द्वारा बालकों के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के भीतर ही उनकी क्षमताओं और रूचियों को ध्यान में रखकर समुचित विकास किया जा सकता है। खेल बालक की जन्मजात नैसर्गिक आवश्यकता है। यह बाल्यावस्था का अभिन्न अंग है। जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार के अन्तर्गत खेल को शामिल किया गया है। मानवाधिकार के अन्य अनुच्छेदों में भी अप्रत्यक्ष रुप से बाल अधिकार के अन्तर्गत खेलने के अधिकार को बल प्रदान करते हैं। खेलने का अधिकार केवल बालक वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि समूची मानव जाति के उत्कर्ष के लिए महत्त्वपूर्ण है। बालक के सर्वांगीण विकास से जुड़े इस महत्त्वपूर्ण अधिकार को संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि यह अधिकार अन्य मानवाधिकार के लिए आधार है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. बधेका, गिजुभाई (2008). **दिवास्वप्न.** (अनु॰ राम नरेश सोनी), गिजुभाई ग्रंथावली भाग–एक, बीकानेर : सर्जना प्रकाशन।
2. फैज़, पी॰ एम॰ (2007). कॉन्स्टीटूशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन : ए कम्परेटिव एण्ड क्रिटिकली स्टडी अण्डर दी कॉन्स्टीटूशन ऑफ इण्डिया एण्ड इण्डोनेशिया, **कॉन्स्टीटूशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन**, लॉ जर्नल, जनवरी, 2007, रिट्राइव्ड फ्रॉम : **http://faizlawjournal.blogspot.com/2007/01/constitutional-right-of-children.html** रिट्राइव्ड ऑन 24.11.2010.
3. एफ॰ बी॰ सी॰ सी॰ (2008). ए चाइल्ड्स "राइट टू ए फेमिली", द विजॅन एण्ड एक्सपेरियंस ऑफ एस॰ ओ॰ एस॰ चिल्ड्रेन विलेजेज पोजिशन पेपर, रिट्राइव्ड फ्रॉम : **http://www.sos-childrensvillages.org/publications/guidelines-policies-papersdocuments/20081001-corepositionpaper.pdf** रिट्राइव्ड ऑन 24.11.2010.
4. गर्ल, जे.वान (2008). **दि यू.एन.–कनवेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एण्ड दि इवोलुशन ऑफ चिल्ड्रेन्स प्ले**, आई.सी.सी.पी॰ कॉन्फ्रेंस इन ब्रनो, रिट्राइव्ड फ्रॉम : **http://www.iccp-play.org/documents/brno/van-girl.pdf** रिट्राइव्ड ऑन 24.11.2010.

5. गुप्ता, सुबोध बाला (2006). इक्कीसवीं सदी में मानवाधिकार शिक्षा, **प्राथमिक शिक्षक.** जुलाई–अक्टूबर 2006, नई दिल्ली : प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।

6. जैक्शन, ग्लैण्डा एण्ड एलेन, सोनिया (2010). फण्डामेंटल एलेमेंट्स इन एग्जामिनिंग ए चाइल्ड्स राइट टू एज्यूकेशन : ए स्टडी ऑफ होम एज्यूकेशन रिसर्च एण्ड रेगुलेशन इन आस्ट्रेलिया, **इण्टरनेशनल इलेक्ट्रोनिक जर्नल ऑफ एलेमेंटरी एज्यूकेशन**, वाल्यूम 2, इस्यू 3, जुलाई, 2010, रिट्राइव्ड फ्रॉम : **http://www.iejee,com/2-3-2010/349-364.pdf** रिट्राइव्ड ऑन 24.11.2010.

7. कैमी, थोको (2009). द फाउण्डेशन ऑफ राइट इन दि अफ्रिकन चार्टर ऑन द राइट्स एण्ड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड : ए हिस्टोरिकल एण्ड फिलॉसोफिकल एकाउन्ट, **अफ्रिकन जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज़**, इयर, 2009, वाल्यूम 3, रिट्राइव्ड फ्रॉम : **http://www.africalawinstitute.org/ajls/vol.3/no.1/kaime.pdf** रिट्राइव्ड ऑन 24.11.2010.

8. लिबेल, कैथ्रिन (2001). चिल्ड्रेन्स राइट्स इन तुर्की, **ह्यूमन राइट्स रिब्यू**, अक्टूबर–दिसम्बर, 2001, रिट्राइव्ड फ्रॉम : **http://humanrights.uconn.edu/documents/papers/childrensRightinTurkeyLibal.pdf** रिट्राइव्ड ऑन 24.11.2010.

9. एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰, (1998). **मानव अधिकार स्रोत ग्रंथ.** नई दिल्ली : प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।

10. एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰, (1997). **आओं खेल खेलें.** नई दिल्ली : प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।

11. एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰, (2008). **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005.** नई दिल्ली : प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।

12. एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰ (2009). **हमारे अतीत–III.** भाग–1, नई दिल्ली : प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।

13. साराह, सोपेकन ओ॰ (2009). चैलेन्जेज ऑफ चाइल्ड्स राइट अवेयरनेस : ए केस स्टडी ऑफ प्राइमरी स्कूल प्यूपील्स एण्ड टीचर्स इन आईकेन्ने लोकल गवर्नमेंट एरिया ऑफ ओगन स्टेट, **कॉन्टेम्पोरेरी ह्यूमैनिटी**, वोल्यूम 3, सितम्बर, 2009, रिट्राइव्ड फ्रॉम : **http://babcockuni.edu.ng/userfiles/contemporary/SOPEKANO.SARAH.pdf** रिट्राइव्ड ऑन 24.11.2010.

14. सारस्वत, मालती (1997). **शिक्षा–मनोविज्ञान की रूपरेखा.** लखनऊ : आलोक प्रकाशन।

15. टेमसन, एल॰ एम॰ व अन्य (2003). चाइल्डहुड डिप्रेसिव सिस्टम्स, फिजिकल एक्टिविटि एण्ड हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, **जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स एण्ड एक्सरसाइज सायकॉलॉजी.** खण्ड–25, संख्या–04, दिसम्बर, 2003।

16. यूनिसेफ (2004). **स्पोर्ट, रीक्रिएशन एण्ड प्ले.** रिट्राइव्ड फ्रॉम : **http://www.unicef.org** रिट्राइव्ड ऑन 12.10.2007.

◆